न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 29/2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00130

| प्रार्थी :– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| मांगीलाल पुत्र वनाराम जाति सिरवी निवासी बडेरवास तहसील पाली जिला पाली | | 1. अशोकदास पुत्र श्री प्रेमदास जाति वैष्णव निवासी वडेरवास तहसील पाली जिला पाली।<br>2. ग्राम पंचायत वडेरवास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत वडेरवास तहसील पाली जिला पाली। |

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत
अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 25/8/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्ध अप्रार्थीगण के ग्राम पंचायत वडेरवास द्वारा प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.03.2004 मिसल संख्या 15/2001–02 की पालना में 2632 दिनांक 26.8.2004 जो अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत वडेरवास से जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया जाकर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रार्थी के संयुक्त सामलात भूमि मौजा वडेरवास पटवार क्षेत्र खैरवा तहसील पाली में स्थित खसरा नंबर 2023 रकबा 6 बिस्वा कृषि भूमी जिसका उपयोग प्रार्थी व उनके सहखातेदर बाडे (नौहरे) के रूप में कर रहे हैं उक्त कृषि भूमी के उत्तर दिशा में खसरा नंबर 1839 किस्म सिवायचक भूमी स्थित है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बिना पंचायत के नियमों की पालना किये मिलावट कर बाले–बाले ही पट्टा जारी कर दिया। उक्त भूमी रास्ते की भूमी है जिससे प्रार्थी अपने खसरा नंबर 2023 की भूमी पर बने नौहरे में आना–जाना करते हैं। उक्त भूमी पर अवैध व अनाधिकृत अतिक्रमण करने का पता दिनांक 17.02.2017 को लगने पर उसकी शिकायत जिला कलक्टर महोदय के समक्ष करने पर तहसीलदार पाली से मौका जांच रिपोर्ट तलब कि गई, मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 में स्पष्ट अंकन है कि ग्राम पंचायत वडेरवास में अशोकदास पुत्र प्रेमदास को 46'' बाई 36'' का पट्टा जारी किया गया है जो खसरा संख्या 1839 सिवायचक भूमी पर पट्टा जारी किया हुआ होने से खारिज योग्य है। व न ही जैर निगरानी पट्टा 156 या 157 के तहत जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे व प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर भी न प्रतिलिपी और न ही रसीद दे रहे है। अतः [illegible] की प्रमाणित प्रतिलिपी के अभाव में निगरानी प्रस्तुत की गई। अत [illegible] समस्त तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार फर[illegible] 15/2001–02 दिनांक 21.12.2004, प्रस्ताव संख्या [illegible] की पालना में अप्रार्थी [illegible] 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2632 दिनांक [illegible]08.2004 को निरस्त [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:31 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................2

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि श्रीमान को धारा 27(बी) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर व तहसीलदार की न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त है साथ ही धारा 24(ii) अनुसार भी तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 11.1.08 द्वारा दिनांक 01.01.2000 से पूर्व समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक एवं गैरमुमकिन राजस्व भूमी पर आवास गृह व जानवरों कें बाड़े बनकार किए गए अतिक्रमणों को नियमन करने के आदेश दिए गए है व परिपत्र के पद संख्या तीन अनुसार 500 वर्गगज तक सिवायचक भूमी पर बनाए गए मकान प्रति वर्गगज 1/–रूपया प्रिमियम लेकर नियमन कर मालिकाना हक प्रदान करने कें आदेश पारित किए गए हैं। इस बाबत दिनांक 30.1.06 को भी परिपत्र पारित कर दिनांक 1.1.95 से पूर्व मौके पर सिवायचक भूमी का आबादी भूमी उपयोग किए जाने पर आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित किए जाने के बाबत आदेश पारित किए गए है ताकि ग्राम पंचायत नियमों के अन्तर्गत राशि लेकर आबादी पट्टे जारी कर सकें। अप्रार्थी पिछड़ी जाति का गरीब है जिसका मुख्य कार्य मंदिर में पूजा–पाठ करना है व उक्त मकान पिछले 30 वर्षो से बना हुआ है इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। व इसके अलावा अप्रार्थी के पास कोई आवास, भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 2023 की 6 बिस्वा भूमी बताई है जो गैरमुमकिन नाडी है अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमी अवैध है जिसका विधिनुसार रेफरेन्स किया जाकर भूमी को सरकारी सिवायचक दर्ज करावे। खसरा नंबर 1839 में प्रार्थी के अलावा अन्य व्यक्तियों के आवासीय मकान कई दशको से बने हुए है जिस भूमी को आबादी भूमी में ली जाकर जिनके पट्टे समय–समय पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए हुए है। आबादी भूमी किए जाने बाबत आदेश का राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं हुआ है जिससे भूमी राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज चली आ रही है। अतः अप्रार्थी को राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त भूमी सरकारी दर्ज होने के आधार पर तंग परेशान कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उक्त निगरानी, सिविल कोर्ट में वाद तथा धारा 91 की कार्यवाही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानी खारिज फरमावे व साथ ही प्रार्थी के नाम की खातेदारी भूमी खसरा नंबर 2023 किस्म गैरमुमकीन नाडी को सिवायचक किए जाने हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर को रेफरेन्स किए जाने बाबत आदेश पारित फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का भलीभाँति अवलोकन किया गया। इसमें निर्णय हेतु मुख्यतया दो विचारणीय बिन्दु है :–

1. पट्टा सिवायचक भूमी पर जारी किया गया या आबादी भूमी में। तथा क्या भूमी को आबादी किया जाने बाबत आदेश जारी हुआ है, जिसका अंकन राजस्व रेकर्ड में नहीं हुआ है।
2. पट्टा जारी करते समय विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं।

प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2632 दिनांक 26.08.2004 खसरा संख्या 1839 में जारी किया [illegible] गिरदावर [illegible] बरवा–।। की दिनांक 8.3.2017 को तैयार की गई एवं 9.3.17 [illegible] तहसीलदार पाली को प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है [illegible] आबादी भूमी में जारी न कर सिवायचक भूमी में जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 [illegible] अनुसार नूजूल आबादी भूमी में ही पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार रखती है ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:31 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..................3

वकील अप्रार्थी द्वारा 27(बी) एवं 24(ii) में प्रदत अधिकार का ही वर्णन किया है लेकिन प्रस्तुत निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत की गई है जिसमें जैर निगरानी पट्टे की शुद्धता, सत्यता एवं वैधानिकता को ही परखा जाना है इस नियम के तहत उपरोक्त कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है। वकील अप्रार्थी इसके लिए पृथक से चाराजोही कर सकता है। वकील अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमी में जारी करने बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया है उन्होंने अपनी बहस व जवाब में आबादी भूमी किए जाने बाबत आदेश का राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं किए जाने का कथन किया है लेकिन अपने कथन की ताईद में भूमी को आबादी किए जाने बाबत किसी प्रकार के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है न ही किसी प्रकार के अन्य राजस्व रेकर्ड की प्रतियां पेश की है जिससे यह साबित किया जा सके कि जैर निगरानी आराजी आबादी भूमी है गैर मुमकिन सरकारी भूमी नहीं है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा पटवार हल्का खैरवा की रिपोर्ट अनुसार सिवायचक राजकीय भूमी में जारी किया गया है जिसे निरस्त किया जाना विधिसम्मत है। वकील अप्रार्थी द्वारा उल्लेखित परिपत्र अनुसार प्रति वर्गगज 1-रूपये प्रिमियम लेकर नियमन करने के लिए किए गए कथन से भी स्पष्ट है कि वकील अप्रार्थी स्वयं भी जैर निगरानी भूमी को नूजूल आबादी भूमी नहीं मानकर राजकीय/सिवायचक भूमी मान रहे है। लिहाजा पट्टा निरस्तनीय है।

जहां तक प्रक्रिया का प्रश्न है ग्राम पंचायत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक का अंकन नहीं है न ही सरपंच द्वारा प्रार्थना पत्र मार्क किया गया है। दो गवाहों के बयान लिए गए है जिसमें दिनांक अंकित नहीं है तथा पुश्तैनी कब्जा बताया है इसलिए पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया गया है तथा 400/-रूपये की राशि ली गई है जो नियम 157 के अनुरूप नहीं है। जिसमें 25 प्रतिशत क्षेत्रफल संनिर्मित होना आवश्यक है तथा 50 वर्ष से पुराना कब्जा होने पर 100 रूपये एवं इससे अधिक समय पूर्व का कब्जा होने पर 200 रूपये पुराने संनिर्मित गृहों के विनियमितीकरण का प्रावधान हैं। प्रस्तुत निगरानी में मिशल के अवलोकन से स्पष्ट है कि संनिर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख कहीं नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कब्जासुदा आवासीय भूमी होना उल्लेख किया है ऐसी स्थिति में नियम 57 की पालना नहीं की गई है। आपतियां आमंत्रित करने की सूचना पत्र को कहां चस्पा किया गया है किस दिनांक को जारी किया गया है तथा किस दिनांक को चस्पा किया गया कुछ भी अंकन नहीं है। पट्टे में प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.03.2004 का उल्लेख है लेकिन प्रस्ताव रजिस्टर नही होने के कारण इसकी सत्यता की परख नहीं की जा सकती है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.03.2004, मिशल संख्या 15/2001-02 व उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 2632 दिनांक 26.08.2004 जो ग्राम पंचायत वडेरवास द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया था निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/[illegible]21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:31 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली